संख्या-132 /2024/ 1340 /001-1340-2024-23-10002-002-8-2023

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 20 सितम्बर, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57 के अंतर्गत जनपद देवरिया में सरयू (घाघरा) नदी/परसिया देवार एवं बरहज के मध्य मोहन सिंह सेतु के निर्माण कार्य हेतु व्यपगत धनराशि का पुन: आवंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (31वां वृत्त सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-1304/सामान्य-सेतु-31/2023-24 दिनांक 10.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद देवरिया में सरयू (घाघरा) नदी/परसिया देवार एवं बरहज के मध्य मोहन सिंह सेतु के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनदेश संख्या-21/2023/68/001-68-23-10-23-सा-2022 टी0सी0 दिनांक 30.01.2023 द्वारा रू0 3088.29 लाख की अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष मात्र रू0 1622.28 लाख का उपभोग किये जाने तथा रू0 1466.01 लाख की धनराशि का आहरण न होने के कारण व्यपगत धनराशि के पुन: आवंटन का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देवरिया में सरयू (घाघरा) नदी/परसिया देवार एवं बरहज के मध्य मोहन सिंह सेतु के निर्माण कार्य हेतु शासनदेश संख्या-21/2023/68/001-68-23-10-23-सा-2022 टी0सी0 दिनांक 30.01.2023 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 3088.29 लाख में से वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यपगत धनराशि रू0 1466.01 लाख (रूपये चौदह करोड़ छियासठ लाख एक हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन पुन: आवंटित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्रं0 | कार्य का नाम | शासनादेश संख्या | पुनरीक्षित स्वीकृत लागत | वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि | | | वर्ष 2022-23 में व्यपगत धनराशि (अनु-57) | वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनु0-57 के अंतर्गत पुन: आवंटन | कार्यदायी संस्था |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | अनु0-57 | अनु0-83 | योग | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | जनपद देवरिया में सरयू (घाघरा) नदी/परसिया देवार एवं बरहज के मध्य मोहन सिंह सेतु का निर्माण | 21/2023/68/001-23-10-23-42-सा0-2022 टी0सी0 दिनांक 30.01.2023 | 16114.43 | 2433.26 | 655.03 | 3088.29 | **1466.01** | 1466.01 | सेतु निगम |
| | | **योग:-** | **16114.43** | **2433.26** | **655.03** | **3088.29** | **1466.01** | **1466.01** | |

(रूपये चौदह करोड़ छियासठ लाख एक हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों**

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं कार्य के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) भविष्य में चालू कार्यों पर आवंटित धनराशि का समय से उपभोग सुनिश्चित किया जाये और कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाये।

(5) उक्त सेतु निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र, क्वालिटी मानीटरिंग प्रमाण पत्र एवं जियो टैगिंग के साथ उनके सुस्पष्ट स्थलीय रंगीन फोटोग्राफस, सक्षम अधिकारी के नाम, पदनाम व हस्ताक्षर सहित शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/ बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024 दिनांक 19.06.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व उक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुये सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष धनराशि लैप्स हो जाने के प्रकरण में दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,66,01,000 ( रुपये चौदह करोड़ छियासठ लाख एक हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
उप सचिव।

**संख्या-132 /2024/1340(1)/001-1340-2024-23-10002-002-8-2023, तददिनांक।**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) मण्डलायुक्त, गोरखपुर/ जिलाधिकारी, देवरिया ।
(4) मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
(7) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(8) मुख्य कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(9) संबंधित कोषाधिकारी।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(11) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
(12) श्री राजेश प्रताप सिंह (उप सचिव/नोडल अधिकारी), लोक निर्माण विभाग ।
(13) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।